तामील में जारी हुए

16.10.17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि0 6.12.17 को पेश हो।

6.12.17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि0 6/2/18 को पेश हो।

6/2/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----------4/4/18-------को पेश हो। पुनश्च पत्रावली दि0 14/5/18 को कैम्प गढ़ेपान मे पेश हो।

14/5/18 पत्रावली लोक अदालत केम्प गढेपान में पेश हुई। वादी की ओर से उक्त वाद जरिये मुख्तार आम घनश्याम कुशवाह द्वारा पेश किया गया, जिसमें ग्राम गढेपान स्थित पुरानें ख0नं0 191 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि निजी वन हेतु प्रहलाद सिंह चढ्ढा को आवंटन की गई थी, किन्तु दौरानें सेटलमेंट उक्त भूमि के नवीन ख0नं0 257 रकबा 2.04 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई एवं वर्तमान में ख0नं0 253/364 रकबा 0.85 हे0 भूमि प्रतिवादीगण की खातेंदारी में दर्ज है, जिसे हटाया जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज करनें की घोषणा चाही गई है। प्रस्तुत वाद में जवाब सरकार प्राप्त हुआ, जिसे शा0 मि0 किया गया। जवाब सरकार में उल्लेखित किया गया है कि मौके पर आवंटित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है, उक्त भूमि निजी वन हेतु आवंटन की गई थी किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई और ना ही इस भूमि पर वादी (आवंटी) द्वारा वन आदि का विकास किये जानें

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2016/00221	नम्बर ... जो ... तामील ...
	से आगें नवीनीकरण नहीं किया गया है। इसलिए आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं जवाब सरकार के अनुसार आवंटी/वादी द्वारा अवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जानें से खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होनें से वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	